5 रु. Rs. 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs. 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs. 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

निग० 838-I-15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–छतरपुर

श्याम गिरि पुत्र श्री जमुना गिरि ब्राह्मण, निवासी ग्राम – दौनी, तहसील लवकुशनगर, जिला – छतरपुर (म.प्र.)
.... आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर, जिला छतरपुर (म.प्र.) ....अनावेदक

न्यायालय नायब तहसीलदार पठा तहसील लवकुशनगर जिला छत्तरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/अ–68/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 19.12.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है –

1. यहकि, आवेदक लगभग 40 वर्ष से ग्राम दौनी में स्थित श्रीनरसिंह भगवान के आश्रम में निवासरत् होकर भगवान की पूजा, अर्चना एवं धार्मिक कार्यो तथा अनुष्ठानों को करवाता है।

2. यहकि, ग्राम दौनी में स्थित आराजी नम्बर 414/1 जिसमें से 30×60 वर्गफीट भूमि का पट्टा आवेदक को ग्राम पंचायत दौनी द्वारा निवास हेतु दिनांक 02.07.1983 को दिया गया था। ग्राम पंचायत दौनी द्वारा दिये गये पट्टे के आधार पर आवेदक द्वारा मकान निर्मित कर निवास कर रहा है तथा इसी आराजी नम्बर में ग्राम के कई अन्य लोगों के मकान इत्यादि बने हुए है। पटवारी हल्का दौनी द्वारा आवेदक के विरूद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट श्रीमान् नायब तहसीलदार पठा के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसके पश्चात् आवेदक को एक कारण बताओं सूचनापत्र जारी किया गया, जिसका आवेदक द्वारा विधिवत रूप से जबाव प्रस्तुत किया एवं कारण बताओं सूचनापत्र अवैध होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

3. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, पठा द्वारा आवेदक के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 05/ अ–68/2014–15 पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गयीं। चूंकि इस प्रकरण में आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई भी अवसर प्रदान किये बिना ही पारित आदेश दिनांक 19.12.2014 से आवेदक के विरूद्ध

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-838-एक/2015 जिला छतरपुर श्यामगिरि विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील लवकुशनगर के प्रकरण क्रमांक 05/अ-68/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 19-12-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 02-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य 01/3/19	